तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दावा प्रस्तुत करते समय प्रतिवादी सं 02 को पक्षकार प्रतिवादी बनाया है तत्समय प्रतिवादी संख्या 03 वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार थी। प्रतिवादी सं. 03 ओमवती ने वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 02 जो वादी के सगे भाई है के पक्ष में दिनांक 24.05.25 को हकत्यागनामा किया है जिसका नामांतकरण खुल चुका है अब प्रतिवादी सं 03 का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा नहीं है इसलिए प्रतिवादी सं 03 का नाम हजफ फरमाने बाबत निवेदन किया। अतः वादी वकील बहस पर मनन करते एवं प्रार्थना पत्र व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थना पत्र नाम हजफ स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 ओमवती पुत्री कालासिंह का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाम हजफ/संशोधन वादी वकील ने लालस्याही से दर्ज किया जावे। वादी वकील ने प्रतिवादी सं 01 का तलबी नोटिस डाक रजिस्ट्री प्रस्तुत किया। वास्ते इंतजार तामील/तहसीलदार रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 05.08.25 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

05/08/2025
पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। वास्ते इंतजार तामील एवं रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई पत्रावली दिनांक 12/08/2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

12/08/2025
पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। प्रति. सं 01 बावजूद रजिस्टर्ड तामील उप० नहीं आ ही
αu

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उप० आया। अत: प्रति० सं० 01 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी वकील द्वारा वादपत्र पर बहस की गयी। हमने बहस सुनी। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार बांदीकुई की प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। अत: वादी वकील बहस पर मनन करने व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 12/8/25

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या 74/2025

प्रकरण निर्णय दिनांक 12.08.2025

1. बृजराज सिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी मोटूका तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बांदीकुई
2. रामपाल सिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी मोटूका तहसील बांदीकुई

दावा उदघोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांक 12.08.2025

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा उदघोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज जर्ये वकील श्री हरिओम गुप्ता के इस आशय से पेश किया कि ग्राम मोटूका पटवार हल्का रलावता तहसील बांदीकुई में स्थित खाता संख्या नया 122 पुराना 120 के खसरा नंबर 1015, 1016, 1101, 1102, 1103, 1108, 1112, 1450, 284/1746, 330, 331, 504, 505, 506, 836, 843, 844 कुल खसरा नंबर 17 कुल क्षे. 2.18 हैक्टेयर स्थित है। वादी व प्रतिवादी नं. 02 व 03 व जमाबंदी में क्रम संख्या 07 पर दर्ज बिट्टो देवी पत्नि बालसिंह को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नं. 02 व 03 तथा बिट्टो देवी, बालसिंह के उत्तराधिकारी है। बालसिंह की मृत्यु के उपरांत वादी व प्रतिवादी नं. 02 व 03 व बिट्टो देवी खातेदार दर्ज हुये है। मृतक बालसिंह की मृत्यु का विरासत नामान्तकरण खोलते समय वादी बृजराजसिंह के नाम के स्थान पर गजराजसिंह नाम दर्ज कर दिया जबकि वादी का नाम कभी भी गजराजसिंह नहीं रहा। वादी के सभी प्रकार के सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान– पत्र, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड में नाम बृजराज सिंह दर्ज है किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से बृजराज सिंह के स्थान पर गजराज सिंह दर्ज कर दिया है। वादग्रस्त भूमि पर वादी अपने हिस्से पर काश्तकार लाभान्वित होता चला आ रहा है।वादी को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का गलत इन्द्राज होने की जानकारी नहीं थी। वादी दिनांक 17.03.2025 को सरकारी योजना किसान सम्मान निधि में मिलने वाली राशि प्राप्त करने गया तो वादी को राशि नहीं दी गयी। वादी से यह कहा गया कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बृजराज सिंह दर्ज नहीं है जबकि उसके अन्य सरकारी दस्तावेजात में बृजराज सिंह नाम दर्ज है इसलिये वादी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम त्रुटि होने पर योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा। तब वादी ने राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी निकलवाई तथा अपना नाम गलत होने की जानकारी हुई। वादी को इससे

Scanned with OKEN Scanner

पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम गजराज सिंह दर्ज होने की जानकारी नहीं थी। इसलिये राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दुरूस्ती वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की माता बिट्टो देवी उर्फ बिट्टा देवी जिसका संलग्न जमाबंदी संवत् 2079 में कम संख्या 07 पर नाम दर्ज है जो 2255/351416 हिस्से की खातेदार है। उसकी भी दिनांक 22.02.2016 की मृत्यु हो गयी है। किन्तु श्रीमती बिट्टो देवी की विरासत का नामान्तकरण नहीं खुला है। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 मृतक बिट्टो देवी कानूनी उत्तराधिकारी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 मृतक बिट्टो देवी के पुत्र है व प्रतिवादी संख्या 03 मृतक बिट्टो देवी की पुत्री है इसलिये बिट्टो देवी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को समान हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व उसे धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया है फिर भी रफाय हुज्जत धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र वास्ते इजाजत दिये जाने बिना नोटिस वाद पेश किये जाने हेतु पेश है। बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत दिनांक मार्च 2025 को वादी का नाम गलत इन्द्राज होने के कारण किसान सम्मान निधि राशि देने से इंकार करने पर वादकारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर निम्न अनुतोष प्रदान किये जावें–

(अ) यह है कि वादी का राजस्व रिकॉर्ड में बृजराजसिंह के स्थान पर गजराज सिंह नाम दर्ज हो रहा है उसे दुरूस्त कर बृजराजसिंह किया जावें।

(ब) यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की माता बिट्टो देवी जिसका नाम जमाबंदी में कम संख्या 07 पर दर्ज हो रहा है जिसकी मृत्यु हो जाने के कारण बिट्टो देवी का नाम हजफ फरमाकर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

(स) यह है कि अन्य कोई अनुतोष जो न्याय हित में वांछित हो वादी के पक्ष में प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी। वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र नाम हजफ पेश कर विवरण अंकित किया कि वादी द्वारा उपरोक्त दावा प्रस्तुत करते समय प्रतिवादी संख्या 03 को पक्षकार प्रतिवादी बनाया है तत्समय प्रतिवादी संख्या 3 वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार थी। प्रतिवादी संख्या 03 ओमवती ने वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 02 जो वादी के सगे भाई है के पक्ष में दिनांक 22.05.2025 को हक त्याग कर दिया है जिसका नामान्तकरण खुल चुका है अब प्रतिवादी संख्या 03 का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 03 का नाम हजफ फरमाने बाबत निवेदन किया। जिस पर वादी वकील बहस सुनने, प्रार्थना पत्र व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज के अवलोकन के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रार्थी प्रार्थना पत्र नाम हजफ दिनांक 31.07.2025 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या

Scanned with OKEN Scanner

03 का नाम हजफ किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि वाद पत्र का चरण संख्या 01, 02, 04 स्वीकार है। वादपत्र का चरण संख्या 03 स्वीकार है वादी का सही नाम बृजराज सिंह है किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से गजराज दर्ज कर दिया। वादी के सभी दस्तावेज में नाम बृजराज सिंह है। वादी वादग्रस्त भूमि पर अपने हिस्से पर काबिज है। वाद पत्र का चरण संख्या 05 स्वीकार है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 03 ने अपना हिस्सा का हक त्याग वादी व मिन प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में कर दिया है। वादपत्र का चरण संख्या 06, 07, 08, 09 कानूनी है। वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष स्वीकार है। अतः जबाब वादपत्र पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोटूका जमाबंदी संवत् 2073–2076 जमाबंदी संवत् 2079 वर्ष 2023 से स्थायी आराजी खसरा नंबर 1015, 1016, 1101, 1102, 1103, 1108, 1112, 1450, 284/1746, 330, 331, 504, 505, 506, 836, 843, 844 किता 17 रकबा 2.18 हैक्टेयर गजराजसिंह पुत्र बालसिंह हिस्सा 37/872 जाति राजपूत शेष इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी अनुसार है। वादी गजराजसिंह पुत्र बालसिंह का नाम जमाबंदी में गजराज सिंह पुत्र बालसिंह दर्ज रिकॉर्ड है प्रार्थी सही नाम बृजराज सिंह करवाना चाहता है वाद पत्र में संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र में वादी का नाम बृजराज सिंह दर्ज है गॉव जानकारी करने पर लोगो ने बताया कि वादी का सही नाम बृजराज सिंह पुत्र बालसिंह है अतः प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

हमने वाद पत्र पर वादी वकील बहस सुनी। वाद पत्र का अवलोकन किया। वादी वकील बहस पर मनन किया एवं तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट का अवलोकन किया। उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 03 के द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का हक त्याग वादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में किये जाने से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हजफ किया जा चुका है। इसलिये वादी की माता का हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक में उद्घोषणा की जानी उचित प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वकील बहस पर मनन करने, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर वादी वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि ग्राम मोटूका तहसील बांदीकुई जिला दौसा स्थित भूमि खाता संख्या नया 122 पुराना 120 के 1015, 1016, 1101, 1102, 1103, 1108, 1112, 1450, 284/1746, 330, 331, 504, 505, 506, 836, 843, 844 कुल खसरा नंबर 17 कुल क्षे. 2.18 हैक्टेयर में गजराज सिंह पुत्र बालसिंह का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर बृजराज सिंह पुत्र बालसिंह दर्ज किया जावें एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 की मृतक् माता बिट्टो देवी पत्नि बालसिंह का नाम

[signature]

Scanned with OKEN Scanner

हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी बृजराज सिंह पुत्र बालसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 रामपाल सिंह पुत्र बालसिंह के नाम उद्घोषणा की जाती है। तहसीलदार बांदीकुई विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉंदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

12/8/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner